पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलस) ए-मेल आईडी-क्लिपसे जीमेल.कॉम

क्रमांक 542 /अका / 2025 रायपुर, दिनांक 18 /03/2025

।। अधिसूचना ।।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2025 में निर्णय क्रमांक 06 में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. 2142/1131/2024/38-2 दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 के परिपालन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत रेगुलेशन नो. 221 फोर ईयर अंडरग्रैजुएट प्रोग्राम (फ्यूप) (विद चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एंड मल्टिपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस अस पर एनईपी 2020) (अंडर आर्डिनेंस नो. 210) की अनुशंसा का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.02.2025 में अध्यक्ष की अनुमति से निर्णय क्रमांक 3 में किया गया है. जो निम्नानुसार है -

विनियम संख्या - 221

चार

वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी) के लिए

(एनईपी 2020 के अनुसार विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम और बहु प्रवेश और निकास विकल्प के साथ)

विषयसूची

और। नहीं।		धारा	शीर्षक/थीम	पेज
1	1	1.1 से 1.5	संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ	2
2	2	2.1 से 2.26	परिभाषाएँ और कीवर्ड	2 – 4
3	3	3.1 से 3.2	अवधि	4
4	4	4.1 से 4.2	सीटों की संख्या	4
5	5	5.1 से 5.13	प्रवेश प्रक्रिया एवं पात्रता	4-5
6	6	- -	विश्वविद्यालय में नामांकन	5
7	7	7.1 से 7.10	स्नातक पाठ्यक्रम रूपरेखा (यूजीसीएफ)	5 - 6
8	8	8.1 से 8.10	स्वयं कोर्स	6 - 7
9	9	9.1 से 9.2	परीक्षा में उपस्थिति और पात्रता	7
10	10	10.1 से 10.11	सतत आंतरिक मूल्यांकन (सी.आई.ए.)	7 – 8
11	11	- -	अनुदेश का माध्यम	8
12	12	12.1 से 12.9	परीक्षा, मूल्यांकन/मूल्यांकन एवं पदोन्नति नियम	8 - 9
13	13	- -	मेरिट सूची	10
14	14	14.1 से 14.2	दोहरी डिग्री	10
15	15	15.1 से 15.7	मार्क्स शीट	10
16	16	- -	चुनौती मूल्यांकन	10 - 11
17	17	17.1 से 17.2	कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति	11

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1.1 इन विनियमों को एनईपी 2020 के अनुसार बहु प्रवेश और निकास के साथ चार वर्षीय (आठ सेमेस्टर) स्नातक कार्यक्रम (एफ़वाईयूपी) के लिए विनियम कहा जाएगा।

1.2. ये विनियम विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 210 के अनुरूप होंगे, जो सभी स्नातक कार्यक्रमों (कला, विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान बीसीए, बीबीए, बी.एच.एससी. आदि) के लिए होंगे तथा अन्य कार्यक्रम बाद में शामिल किए जाएंगे, जैसे- आईटीईपी, बीपीईएस आदि) जो कि सरकार द्वारा गठित विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, 1.3 ये विनियम विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।

1.4. ये विनियम विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त नियमित और गैर-महाविद्यालयीन दोनों प्रकार के छात्रों पर लागू होंगे।

1.5. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा संचालित सभी स्नातक कार्यक्रमों (कला, विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान बी.सी.ए., बी.बी.ए., बी.एच.एस.सी. आदि तथा अन्य कार्यक्रम, जैसे- आई.टी.ई.पी., बी.पी.ई.एस. आदि) के लिए इन विनियमों को लागू करने से पूर्व अध्यादेश संख्या 210 के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।

2. परिभाषाएँ और कीवर्ड

2.1 "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से है।

2.2 "उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई)" का तात्पर्य विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से है जहां विद्यार्थी नामांकित हैं।

2.3 "स्नातक पाठ्यक्रम रूपरेखा (यूजीसीएफ)" का तात्पर्य यूजीसी द्वारा समय-समय पर सुझाए गए पाठ्यक्रम की विकल्प आधारित क्रेडिट रूपरेखा से है।

2.4 "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (सीबीसीएस) से तात्पर्य ऐसे कार्यक्रम से है जो विद्यार्थियों को यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/विनियमों, जहां भी लागू हो, तथा विश्वविद्यालय के उपयुक्त निकायों द्वारा अनुमोदित, के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रमों (कोर, इलेक्टिव, योग्यता संवर्द्धन पाठ्यक्रम, आदि) में से चयन करने का विकल्प प्रदान करता है।

2.5 "कोर्स" का अर्थ है किसी विशेष विषय में वितरण के विभिन्न तरीकों के माध्यम से अध्ययन की योजना और यह संबंधित कार्यक्रम संरचना में विस्तृत रूप से बताए गए कार्यक्रम का एक घटक है। कभी-कभी "पेपर" के रूप में संदर्भित, यह एक अनुशासन का एक घटक है जो कक्षा शिक्षण, व्यावहारिक या अनुभवात्मक सीखने की सामग्री बनाता है जिसका उद्देश्य स्नातक कार्यक्रम का अनुसरण करने वाले छात्र से एक निश्चित सीखने का परिणाम प्राप्त करना है। प्रत्येक अनुशासन के लिए पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं, जैसे कि अनुशासन विशिष्ट कोर या वैकल्पिक पाठ्यक्रम जिन्हें DSCs और DSES, जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स (GES), क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AECs) कहा जाता है, कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (एसईसी) और मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम (वीएसी), आदि।

2.6 "अक्षर ग्रेड" का अर्थ किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रदर्शन का सूचकांक है और इसे O, A+, A, B, B, C, P, F और Ab अक्षरों से दर्शाया जाता है।

2.7 "क्रेडिट" का अर्थ है वह इकाई जिसके द्वारा पाठ्यक्रम को मापा जाता है। यह प्रति सप्ताह आवश्यक निर्देश के घंटों की संख्या निर्धारित करता है। एक क्रेडिट प्रति सप्ताह एक घंटे की शिक्षा (व्याख्यान, सेमिनार या ट्यूटोरियल) या प्रति सप्ताह 15 सप्ताह (एक सेमेस्टर में शिक्षण-अधिगम अवधि) के लिए दो घंटे के व्यावहारिक कार्य/क्षेत्र कार्य/परियोजना/कक्षा से बाहर की गतिविधि आदि के बराबर है। एक क्रेडिट में एक सेमेस्टर में 15 घंटे की शिक्षा (व्याख्यान, सेमिनार या ट्यूटोरियल) और 30 घंटे के व्यावहारिक कार्य/क्षेत्र कार्य/परियोजना/कक्षा से बाहर की गतिविधि आदि शामिल हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट की संख्या संबंधित परीक्षा योजना में परिभाषित की जाएगी। SWAYAM और राष्ट्रीय नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य ऑनलाइन पोर्टल के पाठ्यक्रमों में उल्लिखित क्रेडिट को वैसे ही माना जाएगा।

2.8 "ग्रेड प्वाइंट" से तात्पर्य पाठ्यक्रमों में अर्जित ग्रेड के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम क्रेडिट को दिए गए अंक से है।

2.9 "क्रेडिट प्वाइंट" का तात्पर्य किसी पाठ्यक्रम के लिए ग्रेड प्वाइंट और क्रेडिट की संख्या के गुणनफल से है।

2.10 "सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (एसजीपीए)" का अर्थ है एक सेमेस्टर में पंजीकृत विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट पॉइंट और सेमेस्टर के दौरान सभी पाठ्यक्रमों के कुल क्रेडिट का अनुपात। यह एक अध्ययन के प्रदर्शन को मापता है। इसे दो दशमलव स्थानों तक व्यक्त किया जाएगा।

2.11 "संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (CGPA)" का अर्थ है सभी सेमेस्टर में एक छात्र के समग्र संचयी प्रदर्शन का माप। CGPA सभी सेमेस्टर में विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट पॉइंट और सभी सेमेस्टर में सभी पाठ्यक्रमों के कुल क्रेडिट का योग है। इसे दो दशमलव स्थानों तक व्यक्त किया जाता है।

2.12 "सेमेस्टर" का अर्थ है आधा साल का कार्यकाल जिसमें आम तौर पर 15-18 सप्ताह तक शिक्षण दिवसों वाला एक शैक्षणिक सत्र शामिल होता है। विषम सेमेस्टर आम तौर पर जुलाई से दिसंबर तक और सम सेमेस्टर जनवरी से जून तक निर्धारित किया जा सकता है।

2.13 "ग्रेड कार्ड" का अर्थ है अर्जित ग्रेड के आधार पर प्रमाण पत्र। पंजीकृत छात्रों को प्रत्येक सेमेस्टर के बाद ग्रेड कार्ड जारी किया जाएगा। ग्रेड कार्ड में पाठ्यक्रम का विवरण (कोड, शीर्षक, क्रेडिट की संख्या, प्राप्त ग्रेड, अर्जित क्रेडिट पॉइंट) के साथ-साथ सेमेस्टर का एसजीपीए और अब तक अर्जित सीजीपीए शामिल होगा। अंतिम सेमेस्टर ग्रेड प्रमाण पत्र में छात्र द्वारा सभी सेमेस्टर में प्राप्त अंकों का संचयी योग भी दर्शाया जाएगा, जिसके लिए कार्यक्रम के ग्रेड का मूल्यांकन किया गया था। हालांकि, अंतिम परिणाम ग्रेड/सीजीपीए पर आधारित होगा।

2.14 "स्वयं" (युवा महत्वाकांक्षी मस्तिष्कों के लिए सक्रिय शिक्षण का अध्ययन जाल) का तात्पर्य एक सूचना प्रौद्योगिकी मंच से है जिसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम/मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी) प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित और कार्यात्मक बनाया गया है।

2.15 "शैक्षणिक ऋण बैंक (एबीसी)" का तात्पर्य डिजिटल भण्डारगृह से है, जिसमें विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों से किसी व्यक्तिगत छात्र द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट संग्रहित होता है, ताकि अर्जित क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षण संस्थान से डिग्री प्रदान की जा सके।

2.16 "ट्रांसक्रिप्ट" का अर्थ है किसी कार्यक्रम के सफल समापन के बाद उसमें नामांकित सभी छात्रों को जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र। इसमें सभी सेमेस्टर का एसजीपीए और सीजीपीए शामिल होता है।

2.17 "ग्रीष्मकालीन सत्र" से तात्पर्य गर्मी की छुट्टियों के दौरान इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता/कार्य-आधारित व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आठ सप्ताह की अवधि से है, जो विशेष रूप से उन छात्रों द्वारा किया जा सकता है जो दो सेमेस्टर या चार सेमेस्टर की पढ़ाई के बाद बाहर निकलना चाहते हैं।

2.18 "प्रमुख विषय" का अर्थ है विद्यार्थी द्वारा चुना गया मुख्य विषय या विषय और डिग्री उसी विषय में प्रदान की जाएगी। विद्यार्थी को प्रमुख विषयों में मुख्य पाठ्यक्रमों के माध्यम से निर्धारित संख्या में क्रेडिट (कुल क्रेडिट का लगभग 50%) प्राप्त करने चाहिए। ऑनर्स डिग्री ऐसे प्रमुख विषय में प्रदान की जाएगी, जिसके अर्जित क्रेडिट 8 सेमेस्टर पूरा होने के बाद अर्जित कुल क्रेडिट का 50% होगा (कार्यान्वित योजना के अनुसार 160 क्रेडिट)।

2.19 "लघु विषय" से तात्पर्य उन विषयों से है जिन्हें छात्र प्रमुख विषय से परे सीमांत समझ हासिल करने के लिए चुनते हैं।

2.20 "अध्यादेश" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 210 से है।

2.21 अनुशासन विशिष्ट पाठ्यक्रम" (डीएससी) का अर्थ है किसी विशेष अनुशासन का मुख्य पाठ्यक्रम, जिसमें उस अनुशासन का मूल विषय शामिल होता है जिसे कार्यक्रम की अनिवार्य आवश्यकताओं के रूप में पढ़ाया जाना है। इन पाठ्यक्रमों को सेमेस्टर के क्रम में इस तरह से वर्गीकृत और व्यवस्थित किया जाता है कि कार्यक्रम के पूरा होने पर छात्र द्वारा एक निश्चित सीखने का परिणाम प्राप्त किया जाता है।

2.22 "विषय विशेष ऐच्छिक" (डीएसई) का अर्थ है किसी विशेष विषय के उन्नत पाठ्यक्रम, जिसमें उसी विषय का विस्तृत और अंत:विषय विषय शामिल होता है। डीएसई उस विशेष विषय के क्रेडिट पाठ्यक्रमों का एक समूह होगा, जिसे कोई छात्र अध्ययन करना चुनता है।

किसी विशेष विषय (विषयों) के लिए डीएसई का एक समूह होगा, जिसमें से कोई छात्र अध्ययन का कोई पाठ्यक्रम चुन सकता है। ढांचे में निर्दिष्ट डीएसई की पहचान उच्च शिक्षा संस्थान के संबंधित विभाग द्वारा किसी कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के रूप में की जाएगी।

2.23 "जेनेरिक इलेक्टिव" (जीई) का अर्थ है ऐसे पाठ्यक्रम जो छात्रों को बहुविषयक या अंत:विषयक शिक्षा प्रदान करने के लिए हैं। जीई में अध्ययन के विभिन्न विषयों (मूल विषय द्वारा पेश किए गए जीई को छोड़कर) द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का एक समूह शामिल होगा, जो विषम और सम सेमेस्टर के समूहों में होगा, जिसमें से कोई छात्र चुन सकता है। फ्रेमवर्क में निर्दिष्ट जीई को संबंधित कॉलेज द्वारा किसी कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले जीई के रूप में पहचाना जाएगा।

जी.ई./बहुविषयक पाठ्यक्रम बौद्धिक अनुभव को व्यापक बनाने तथा उदार कला और विज्ञान शिक्षा का हिस्सा बनने के लिए हैं। छात्रों को इस श्रेणी के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख स्ट्रीम में उच्चतर माध्यमिक स्तर (12वीं कक्षा) पर पहले से किए गए पाठ्यक्रमों को चुनने या दोहराने की अनुमति नहीं है।

2.24 "क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम" (एईसी) से तात्पर्य अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों तथा भाषा, साहित्य और पर्यावरण विज्ञान और सतत विकास के माध्यम से ज्ञान संवर्धन के लिए अभिप्रेत पाठ्यक्रम से है, जिसमें सभी विषयों के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम शामिल होंगे।

2.25 "कौशल संवर्द्धन पाठ्यक्रम" (एसईसी) से तात्पर्य सभी विषयों के पाठ्यक्रमों से है और इनका उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल आदि प्रदान करना है। एसईसी पाठ्यक्रमों को कौशल-आधारित निर्देश प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रमों के समूह से चुना जा सकता है।

2.26 "मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम" (वीएसी) से तात्पर्य ऐसे पाठ्यक्रमों से है जिनका उद्देश्य छात्रों में नैतिकता, संस्कृति, संवैधानिक मूल्य, सॉफ्ट स्किल, खेल, शिक्षा और ऐसे अन्य मूल्यों का विकास करना है, जिससे छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी।

3. अवधि

3.1 कार्यक्रम की अवधि तथा बहु प्रवेश एवं निकास अध्यादेश में निर्धारित अनुसार होगा।

3.2 अध्यादेश की धारा 3.5 के अनुसार, जिस विषय/अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत डिग्री प्रदान की जाएगी, वह परिशिष्ट-1 की तालिका के अनुसार या विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अनुसार प्रदान की जाएगी।

4. सीटों की संख्या

4.1 नियमित और गैर-कॉलेजिएट छात्रों के लिए प्रत्येक कार्यक्रम में सीटों की संख्या विश्वविद्यालय द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार होगी, जिसे कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विज्ञापित किया जाएगा।

4.2 एचईएल स्वीकृत संख्या के अलावा 10% अतिरिक्त सीटें बना सकते हैं, ताकि पदोन्नति नियम, बहु प्रवेश और निकास, विदेशी छात्रों का पालन किया जा सके और इन सीटों को अतिरिक्त सीटें माना जाएगा। उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने उच्चतम सीजीपीए प्राप्त किया है। इसके अलावा, किसी भी सेमेस्टर में पुन: प्रवेश के मामले में, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने पिछले सेमेस्टर में उच्च मेरिट रैंक प्राप्त की है।

5. प्रवेश प्रक्रिया और पात्रता

एक। नियमित विद्यार्थी के लिए

5.1 प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक प्रवेश समिति होगी जिसका गठन संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार काफी पहले किया जाएगा। प्रवेश की पूरी प्रक्रिया विधिवत गठित प्रवेश समिति की जिम्मेदारी होगी।

5.2 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार तथा "प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत" में दिए गए प्रवेश दिशा-निर्देशों या उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किए गए किसी अन्य दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

जी

5.3 विद्यार्थी अध्यादेश में निर्धारित पदोन्नति नियमों को पूरा करने के अधीन किसी भी उच्चतर विषम सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है।

5.4 विदेशी छात्रों को शैक्षिक योग्यता, समतुल्यता, गतिशीलता और क्रेडिट हस्तांतरण की अनुमति के लिए यूजीसी विनियमन के अनुसार, भारत सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है।

5.5 किसी कार्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले छात्र को राज्य या केंद्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा, सरकारी नियमों के अनुसार या "प्रवेश के मार्गदर्शन सिद्धांत" में उल्लिखित या सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किसी समान निर्देश के अनुसार संबंधित विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिए।

5.6 बीसीए और बीबीए कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता किसी भी विषय में उच्चतर माध्यमिक या उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ समकक्ष डिग्री होगी।

5.7 किसी छात्र को अगले सेमेस्टर में स्वतः ही प्रवेश मिल जाता है, बशर्ते वह अध्यादेश के खंड 9 में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करता हो। यह शैक्षणिक सत्र जारी रखने वाले छात्रों के लिए लागू है।

5.8 प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता में आरक्षण एवं छूट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी।

5.9 प्रवेश का तरीका "प्रवेश के मार्गदर्शन सिद्धांत" या उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किसी समान निर्देश में उल्लिखित होगा।

ख. गैर-कॉलेजिएट छात्रों के लिए

5.10 विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार नामांकन की उपयुक्त प्रणाली को अधिसूचित करेगा, तथा तदनुसार उच्च शिक्षा संस्थान से समन्वय करेगा।

5.11 जी.ई./वी.ए.सी./एस.ई.सी. के चयन और सैद्धांतिक/व्यावहारिक पाठ्यक्रमों को पूरा करने की प्रक्रिया में गैर-कॉलेजिएट छात्रों के लिए डी.एच.ई., सी.जी. सरकार द्वारा प्रसारित नीति दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

5.12 गैर-कॉलेजिएट छात्रों के लिए सीआईए और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा का संचालन नियमित छात्रों के समान होगा या सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नीति दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

5.13 गैर-कॉलेजिएट छात्र सभी पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करके तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करके, केवल रिक्त सीट पर, तृतीय या पंचम सेमेस्टर में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश ले सकते हैं।

6. विश्वविद्यालय में नामांकन

कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से प्रथम सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होने से पहले नामांकित किया जाएगा।

7. स्नातक पाठ्यक्रम रूपरेखा (यूजीसीएफ)

7.1 बहुविषयक कार्यक्रम के लिए अनुशासन/विषय संयोजन परिशिष्ट II की तालिका के अनुसार या विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अनुसार होगा।

7.2 अध्यादेश के खंड 5 के अनुसार, बहुविषयक और एकल विषयक कार्यक्रमों के लिए यूजीसीएफ क्रमशः परिशिष्ट III और IV की तालिकाओं के अनुसार होगा।

7.3 क) विभिन्न प्रकृति के पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट और अंकों की संख्या निम्नानुसार होगी:

i. डीएससी-4 क्रेडिट
ii. जी.ई.-4 क्रेडिट
iii. डीएसई-4 क्रेडिट
iv. एईसी-2 क्रेडिट
वी वीएसी-2 क्रेडिट
vi. एसईसी-2 क्रेडिट (एक क्रेडिट आंतरिक मूल्यांकन और एक क्रेडिट प्रैक्टिकल)
vii. इंटर्नशिप-2 क्रेडिट

viii. ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप- 4 क्रेडिट

ख) स्वयं या ऑनलाइन लर्निंग कोर्स / मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी) में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी विनियमन और कार्यान्वित पाठ्यक्रम क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार मैप किया जाएगा।

7.4 सिद्धांत आधारित डीएससी, डीएसई, जीई के क्रेडिट 4 क्रेडिट के होंगे, जबकि व्यावहारिक आधारित डीएससी, डीएसई, जीई के क्रेडिट 3 क्रेडिट सिद्धांत और 1 क्रेडिट व्यावहारिक या पाठ्यक्रम की प्रकृति के अनुसार विभाजित किए जाएंगे।

7.5 1 या 2 क्रेडिट वाला कोई भी पाठ्यक्रम 50 अंकों का होगा। 2 से अधिक क्रेडिट वाला कोई भी पाठ्यक्रम 100 अंकों का होगा।

7.6 किसी विषय/विषय में पेश किए जाने वाले मुख्य पाठ्यक्रम को अन्य विषय/विषय द्वारा सामान्य ऐच्छिक माना जा सकता है और इसके विपरीत। एक संकाय के छात्र के लिए दूसरे संकाय से जीई का चयन परिशिष्ट V की तालिका 1 के अनुसार होगा और संकायवार जीई का पूल परिशिष्ट V की तालिका 2 के अनुसार होगा या विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा। संस्थान में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विकलांग लोगों को जीई चुनने में छूट दी जाएगी।

7.7 विभिन्न कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम संबंधित सीबीओएस/बीओएस (स्वायत्त महाविद्यालय के मामले में) द्वारा अध्यादेश के खंड 7 के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अनुसार तैयार किया जाएगा।

7.8 क्रेडिट वितरण और पाठ्यक्रम की प्रकृति पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

7.9 ब्रिज कोर्स- उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष स्तर पर गणित विषय के बिना बीसीए कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित गणित का एक कोर्स उत्तीर्ण करना होगा।

7.9a. छात्र को बीसीए के लिए ब्रिज कोर्स से संबंधित कोर्स चौथे सेमेस्टर तक पास करना होगा। ब्रिज कोर्स के क्रेडिट क्वालीफाइंग प्रकृति के होंगे और इसे एसजीपीए में नहीं जोड़ा जाएगा।

7.9b. जो छात्र चौथे सेमेस्टर तक ब्रिज कोर्स पास नहीं कर पाता है, उसे तब तक रोका जाएगा जब तक वह ब्रिज कोर्स पास नहीं कर लेता।

7.10 वी.ए.सी. और एस.ई.सी. अलग-अलग मुख्य अनुशासन/विषयों या संबद्ध विषयों पर आधारित होंगे, जैसा कि संबंधित सी.बी.ओ.एस./बी.ओ.एस. (स्वायत्त महाविद्यालय के मामले में) द्वारा तैयार और अनुमोदित किया गया है, जैसा कि उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सूचीबद्ध किया गया है और विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है। ए.ई.सी., एस.ई.सी. और वी.ए.सी. की एक अनंतिम सूची परिशिष्ट VI के अनुसार होगी।

8. स्वयं कोर्स

8.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युवा महत्वाकांक्षी मस्तिष्कों के लिए सक्रिय शिक्षण के अध्ययन माध्यमों के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क: स्वयं) विनियम, 2021 के अनुसार, उच्च शिक्षा संस्थान एक सेमेस्टर में किसी विशेष कार्यक्रम में दिए जा रहे कुल क्रेडिट के चालीस प्रतिशत तक की अनुमति स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे सकते हैं।

8.2 स्वयं प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत क्रेडिट कोर्स की ऑनलाइन शिक्षा के समुचित और सुचारू संचालन के लिए, उच्च शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक भौतिक अवसंरचना जैसे कंप्यूटर सुविधाएं, पुस्तकालय आदि अन्य सुविधाओं के साथ-साथ निःशुल्क और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों।

8.3 विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद SWAYAM के माध्यम से छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट के हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी ला सकती है। 8.4 विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष को अनुमति दे सकती है संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर क्रेडिट हस्तांतरण के लिए SWAYAM प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन क्रेडिट पाठ्यक्रमों को मंजूरी देने के अधीन।

8.5 संबंधित विषय का विभाग प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ से पहले विद्यार्थियों द्वारा चुने जाने वाले पाठ्यक्रमों की सूची संकलित एवं तैयार करेगा।

8.6 स्वयं आधारित पाठ्यक्रम की क्रेडिट गतिशीलता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अध्ययन वेब के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क) के अनुसार होगी।

युवा महत्वाकांक्षी दिमागों के लिए सक्रिय शिक्षण: स्वयं) विनियम, 2021 या समय-समय पर संशोधित।

8.7 उच्च शिक्षा संस्थान क्रेडिट कोर्स पूरा होने तक पंजीकरण के लिए छात्रों को मार्गदर्शन देने हेतु एक संकाय सदस्य को सुविधाकर्ता के रूप में नामित करेगा।

8.8 SWAYAM के माध्यम से छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट को विश्वविद्यालय द्वारा ABC/NAD पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा और चल रहे कार्यक्रम में एकीकृत किया जाएगा।

छात्रों को SWAYAM के माध्यम से चुने गए पाठ्यक्रमों के लिए अर्जित क्रेडिट का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इस तरह के क्रेडिट को अध्यादेश 210 के खंड 8.3 के अनुसार ग्रेड पॉइंट या उचित स्केल में परिवर्तित किया जाएगा।

8.9 उपरोक्त के अनुसार, विश्वविद्यालय SWAYAM पाठ्यक्रम की प्रक्रिया के संबंध में अलग से अधिसूचना जारी करेगा।

8.10 राष्ट्रीय नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए भी इसी प्रकार का प्रावधान लागू होगा।

9. परीक्षा में उपस्थिति और पात्रता

9.1 ए) अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए छात्र को व्याख्यान, प्रैक्टिकल/ट्यूटोरियल आदि सहित सेमेस्टर के दौरान आयोजित कुल कक्षाओं की न्यूनतम 75% उपस्थिति होनी चाहिए। हालांकि, 60% से अधिक या उसके बराबर और 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को सक्षम प्राधिकारी को माफ़ी के लिए आवेदन करना होगा। माफ़ी उच्च शिक्षा संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।

(ख) छात्र द्वारा स्वयं/अन्य ऑनलाइन पोर्टल से अनुशंसित पाठ्यक्रमों को चुनने पर, इन पाठ्यक्रमों पर बिताया गया समय अकादमिक व्याख्यान के रूप में माना जाएगा तथा उनकी उपस्थिति में शामिल किया जाएगा।

ग) विश्वविद्यालय/कॉलेज के आधिकारिक कार्यक्रमों जैसे खेल/एनसीसी/एनएसएस, रक्तदान और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में छात्रों द्वारा बिताया गया समय ध्यान में रखा जाएगा और उचित मानचित्रण द्वारा उसे उपस्थिति में शामिल किया जाएगा।

d) सिकल सेल/एचआईवी एड्स से पीड़ित छात्रों के लिए जिन्हें रक्त आधान के लिए अस्पताल जाना पड़ता है, उस दिन को उपस्थिति के रूप में गिना जाएगा। बहु विकलांगता वाले छात्रों के लिए उपस्थिति में विशेष छूट पर भी विचार किया जाएगा।

9.2 इसके अलावा, गैर-कॉलेजिएट छात्रों के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, लेकिन उन्हें अन्य गतिविधियों जैसे कि असाइनमेंट जमा करना, आंतरिक परीक्षा, व्यावहारिक कक्षाएं, प्रस्तुति, फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट वर्क आदि के लिए कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा, जब भी आवश्यक हो और समय-समय पर उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी।

10. सतत आंतरिक मूल्यांकन (सीआईए)

10.1 सतत आंतरिक मूल्यांकन पाठ्यक्रम के लिए आवंटित कुल अंकों का 30% होगा और शेष 70% अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए आवंटित किए जाएंगे।

10.2 प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सतत आंतरिक मूल्यांकन की संरचना निम्नानुसार होगी:

नियमित छात्रों के लिए:

i. यूनिट टेस्ट/क्विज़-20% अंक (दो यूनिट टेस्ट/क्विज़ आयोजित किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक 20 अंक का होगा तथा दोनों में से सर्वश्रेष्ठ को सीआईए के लिए माना जाएगा)।

ii. यदि असाइनमेंट-5% अंक.

iii. उपस्थिति-5% अंक.

गैर-कॉलेजिएट छात्रों के लिए:

i. यूनिट टेस्ट/क्विज़- 20% अंक (दो यूनिट टेस्ट/क्विज़ आयोजित किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक 20 अंक का होगा और दोनों में से सर्वश्रेष्ठ को सीआईए के लिए माना जाएगा)।

ii. असाइनमेंट-10% अंक.

सौ

10.3 उपस्थिति के लिए निर्धारित अंक (5%) निम्नानुसार दिए जाएंगे:

75% से कम या बराबर - कोई अंक नहीं

76% से 80%-01 अंक.

81% से 85%-02 अंक.

86% से 90%-03 अंक.

91% से 95%-04 अंक.

96% और उससे अधिक - 05 अंक.

10.4 आंतरिक परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका छात्रों को दिखाई जाएगी तथा छात्र को उत्तर पुस्तिका पर "देखा तथा संतुष्ट" लिखना होगा।

10.5 पूर्ण आंतरिक मूल्यांकन अंक सीआईए के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर या अंतिम सेमेस्टर परीक्षा शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

10.6 सतत आंतरिक मूल्यांकन का कार्यक्रम शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार होगा और सेमेस्टर की शुरुआत में छात्रों को इसकी जानकारी दी जाएगी। परीक्षाएं पूरे सेमेस्टर में समान अंतराल पर होंगी।

10.7 प्रत्येक विभाग/उच्च शिक्षा संस्थान आंतरिक मूल्यांकन अंकों के मूल्यांकन से संबंधित सभी कार्यों की देखरेख के लिए एक परीक्षा समिति का गठन करेगा। विभागाध्यक्ष इस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।

10.8 किसी भी बड़ी या छोटी परियोजना/प्रोजेक्ट/शोध प्रबंध/फील्ड वर्क/इंटर्नशिप आदि के लिए आंतरिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। छात्रों के बैक पेपर के मामले में, किसी भी परिस्थिति में बैक पेपर के लिए आंतरिक मूल्यांकन परीक्षण आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

10.9 यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय/कॉलेज के आधिकारिक कार्यक्रमों जैसे खेल/एनसीसी/एनएसएस और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण किसी सीआईए घटक से चूक जाता है, तो संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान के विभाग द्वारा उन छात्रों के लिए अलग से सीआईए घटक आयोजित किया जाएगा।

10.10 सतत आंतरिक मूल्यांकन (सीआईए) और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ईएसई) के प्रश्न पत्र का पैटर्न परिशिष्ट VII की तालिकाओं के अनुसार होगा। पाठ्यक्रम (डीएससी/जीई/डीएसई-3/4 क्रेडिट) खंड-ए अनिवार्य है जिसमें 10 अंकों के 10 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न/एक लाइन वाले प्रश्न/सत्य या असत्य प्रकार के प्रश्न/अभिकथन तर्क आदि शामिल होंगे और पाठ्यक्रम (एईसी/वीएसी-1 या 2 क्रेडिट) खंड-ए अनिवार्य है जिसमें 5 अंकों के 5 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न/एक लाइन वाले प्रश्न/सत्य या असत्य प्रकार के प्रश्न/अभिकथन तर्क आदि शामिल होंगे।

10.11 अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ईएसई) में उपस्थित होने के लिए सतत आंतरिक मूल्यांकन (सीआईए) पूरा करना अनिवार्य है।

11. निर्देश का माध्यम

सामान्य तौर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा, सिवाय भाषा पाठ्यक्रमों के। हालाँकि, विश्वविद्यालय किसी विशिष्ट कार्यक्रम के लिए शिक्षा और परीक्षा का माध्यम निर्धारित कर सकता है, और ऐसे मामलों में शिक्षा का माध्यम विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। बीबीए और बीसीए के पाठ्यक्रम में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।

12. परीक्षा, मूल्यांकन/मूल्यांकन एवं पदोन्नति नियम

12.1 परीक्षा, मूल्यांकन/मूल्यांकन एवं पदोन्नति के नियम अध्यादेश के खण्ड 8 एवं 9 के अनुसार होंगे।

12.2 कोई भी छात्र अगले उच्चतर सेमेस्टर में जाने के लिए तभी पात्र होगा, जब उसे अध्यादेश में निर्धारित प्रोन्नति नियमों को पूरा करना होगा तथा वह तभी पात्र होगा, जब उसने अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के कम से कम एक कोर्स में भाग लिया हो।

गंभीर बीमारी या अन्य अप्रत्याशित परिस्थिति के मामले में, सक्षम प्राधिकारी अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के कम से कम एक कोर्स में उपस्थित होने की शर्त पर छूट दे सकता है।

सौ

12.3 तीसरे और पांचवें सेमेस्टर में पदोन्नति के लिए, छात्र को पिछले दो सेमेस्टर से 50% क्रेडिट अर्जित करना होगा। 50% क्रेडिट की गणना करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

मान लीजिए कि पहले और दूसरे सेमेस्टर को मिलाकर कुल 40 क्रेडिट हैं, जो विभिन्न श्रेणियों के पाठ्यक्रमों में वितरित किए गए हैं।

- छह मुख्य पाठ्यक्रम: प्रत्येक पाठ्यक्रम 4 क्रेडिट का है, कुल 24 क्रेडिट (4 क्रेडिट x 6 पाठ्यक्रम 24 क्रेडिट)।
- दो GE (जेनेरिक इलेक्टिव) पाठ्यक्रम: प्रत्येक पाठ्यक्रम 4 क्रेडिट का होता है, कुल 8 क्रेडिट (4 क्रेडिट 2 पाठ्यक्रम = 8 क्रेडिट)।
- दो ए.ई.सी. (क्षमता संवर्धन अनिवार्य) पाठ्यक्रम: प्रत्येक पाठ्यक्रम 2 क्रेडिट के बराबर है, कुल 4 क्रेडिट (2 क्रेडिट x 2 पाठ्यक्रम = 4 क्रेडिट)।
- एक एसईसी (कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम): 2 क्रेडिट के बराबर।
- एक वी.ए.सी. (मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम): 2 क्रेडिट के बराबर।

तीसरे सेमेस्टर में पदोन्नत होने के लिए, छात्र को किसी भी श्रेणी (कोर, जीई, एईसी, एसईसी, वीएसी, इंटर्नशिप, आदि) के पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करना होगा, जो कुल क्रेडिट का कम से कम 50% होगा, जो कि उपलब्ध 40 क्रेडिट में से न्यूनतम 20 क्रेडिट है।

उदाहरण के लिए, कोई छात्र 20 क्रेडिट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण कर सकता है:

- तीन मुख्य पाठ्यक्रम: प्रत्येक 4 क्रेडिट का, कुल 12 क्रेडिट (4 क्रेडिट 3 पाठ्यक्रम = 12 क्रेडिट)।
- एक GE पाठ्यक्रम: 4 क्रेडिट के बराबर।
- एक ए.ई.सी. पाठ्यक्रम: 2 क्रेडिट के बराबर।
- एक एसईसी: 2 क्रेडिट के बराबर।

इस संयोजन से छात्र को कुल 20 क्रेडिट मिलेंगे, जो तीसरे सेमेस्टर में पदोन्नति के लिए न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करेगा।

12.4 5वें सेमेस्टर के बाद विशेष परीक्षा सहित बैकलॉग पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने के लिए परीक्षा का प्रावधान अध्यादेश के खंड 9 में उल्लिखित अनुसार किया जाएगा।

12.5 अध्यादेश के खंड 9.14 के अनुसार, निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाला कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान पात्र होगा किसी भी विषय में अनुसंधान कार्यक्रम के साथ ऑनर्स की पेशकश करने के लिए यदि:

i. कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान जो पहले से ही विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. के लिए अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त हो।

i. विश्वविद्यालय के पीएचडी अध्यादेश के अनुसार संबंधित विषय में कम से कम दो मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक होना चाहिए, हालांकि विश्वविद्यालय पीएचडी अध्यादेश के अनुसार संबंधित विषय में 2 के मानदंड को एक मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक में शिथिल कर सकता है।

iii. जर्नल, INFIIBNET, कंप्यूटर लैब और संबंधित सॉफ्टवेयर के साथ पुस्तकालय होना।

iv. प्रयोगशाला संबंधी कार्यक्रमों के लिए प्रयोगशाला सुविधा।

12.6 विश्वविद्यालय कुलपति द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर तथा विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अनुसार, अनुसंधान कार्यक्रमों के साथ ऑनर्स चलाने के लिए किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान को अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता देगा।

12.7 2 या 2 से कम क्रेडिट वाली अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और 2 से अधिक क्रेडिट वाली अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी।

12.8 सी.आई.ए. के लिए प्रथम या द्वितीय परीक्षण की अवधि अधिकतम एक घंटे की होगी।

12.9 विकलांग व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालय द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जैसे कि दृष्टिहीन छात्रों के लिए पढ़ने/लिखने में सहायता, चलने-फिरने में अक्षम छात्रों के लिए भूतल पर परीक्षा केंद्र।

13. मेरिट सूची

प्रत्येक कार्यक्रम में शीर्ष 10 विद्यार्थियों की मेरिट सूची विश्वविद्यालय द्वारा घोषित की जाएगी।

14. दोहरी डिग्री

14.1एक छात्र दो शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग ले सकता है, एक पूर्णकालिक भौतिक मोड में और दूसरा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल)/ऑनलाइन मोड में।

14.2विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम पढ़ने की अनुमति देने के लिए तंत्र विकसित कर सकता है।

15. अंक पत्र

15.1 अध्यादेश के खंड 10 और 11 के अनुसार, छात्र का परिणाम डिजीलॉकर के निर्धारित टेम्पलेट के अनुसार तैयार किया जाएगा। मार्कशीट का एक नमूना परिशिष्ट VIII में दिखाया गया है।

15.2 सामान्यतः पुरस्कार (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री) का उल्लेख अंकपत्र में नहीं किया जाएगा।

15.3 जो छात्र प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के बाद बाहर निकलना चाहते हैं, उन्हें प्रथम या द्वितीय वर्ष की गर्मियों के दौरान 4 क्रेडिट/4, सप्ताह की ग्रीष्मकालीन अवधि पूरी करनी होगी। ऐसे छात्र को अपनी अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की अंतिम तिथि के एक महीने के भीतर उच्च शिक्षा संस्थान को सूचित करना होगा।

15.4 विद्यार्थी को अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की अंतिम तिथि से तीन महीने के भीतर ग्रीष्मकालीन सत्र पूरा करना होगा।

15.5 ग्रीष्मकालीन सत्र के लिए छात्रों द्वारा चुना जाने वाला संगठन उच्च शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा तय किया जाएगा।

15.6 विद्यार्थी उच्च शिक्षा संस्थान को ग्रीष्मकालीन सत्र की अवधि का क्रेडिट/घंटों के रूप में स्पष्ट उल्लेख करते हुए पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा तथा उसे विश्वविद्यालय को ऑनलाइन या ऑफलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।

15.7 ग्रीष्मकालीन सत्र के प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय छात्र को प्रमाण पत्र/डिप्लोमा प्रदान करेगा।

16. चुनौती मूल्यांकन

अध्यादेश के खंड 13.3 में उल्लिखित अनुसार छात्र चुनौती मूल्यांकन के हकदार हैं, जिसके लिए नीचे वर्णित दो चरणों वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

1. चरण-1 आवेदन प्रक्रिया

क. छात्र अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की घोषणा के 10 दिनों के भीतर ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड के माध्यम से चुनौती दिए गए मूल्यांकन के पहले चरण (चरण-1) के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क का

भुगतान करना ख. आवेदन किसी भी पाठ्यक्रम के लिए किया जा सकता है।

ग. विश्वविद्यालय संबंधित छात्र को इलेक्ट्रॉनिक मोड/भौतिक रूप से उत्तर पुस्तिकाओं की सत्यापित फोटोकॉपी उपलब्ध कराएगा।

ii. चरण-2 आवेदन प्रक्रिया

यदि छात्र को लगता है कि प्रश्न पत्र के अधिकतम अंकों के 10% से अधिक अंक बढ़ाए जाएंगे, तो वह निर्धारित शुल्क का भुगतान करके अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की घोषणा के 20 दिनों के भीतर चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण (चरण -2) के लिए ऑनलाइन / ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

iii. समिति की जिम्मेदारियाँ:

क. उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः योग और पुनः जांच।

ख. उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में किसी अन्य मुद्दे की पहचान करें।

ग. विश्वविद्यालय को स्पष्ट सिफारिशों के साथ निर्धारित प्रारूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें सीलबंद लिफाफे में।

iv. मूल्यांकन प्रक्रिया

क.. दो विषय विशेषज्ञ (मूल परीक्षक को छोड़कर), छात्र के उत्तर का मूल्यांकन करेंगे लिखी हुई कहानी।

(ख) यदि दोनों परीक्षकों द्वारा दिए गए औसत अंक प्रश्नपत्र के अधिकतम अंकों के 10% से अधिक हैं, तो औसत अंक को अंतिम अंक माना जाएगा।

(ग) यदि प्राप्त औसत अंक प्रश्नपत्र के अधिकतम अंकों के 10% से कम है तो छात्र के अंक कम हो जाएंगे।

v. समय

विश्वविद्यालय को आवेदन प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर चुनौती मूल्यांकन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखना चाहिए।

हम। अनंतिम प्रवेश

क. जो छात्र चुनौती मूल्यांकन के लिए आवेदन करते हैं, वे सेमेस्टर शुल्क का भुगतान किए बिना उच्च सेमेस्टर में अनंतिम प्रवेश ले सकते हैं और सी.आई.ई. में उपस्थित होने के लिए भी पात्र हो सकते हैं।

(ख) यदि विद्यार्थी अध्यादेश में निर्धारित प्रोन्नति नियमों के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो उसका प्रवेश निश्चित हो जाएगा।

vii. यदि किसी छात्र ने चैलेंज मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है, तो उसे अलग से री-टोटलिंग के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं है। हालाँकि, जिस छात्र ने चैलेंज मूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं किया है, वह विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार री-टोटलिंग के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

17. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

17.1 यदि इस विनियम में शामिल न किए गए मामलों से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो सरकार/विश्वविद्यालय या यूजीसी द्वारा जारी उपयुक्त अधिनियम/संविधि/अध्यादेश/विनियम/नियम/अधिसूचनाओं में किए गए प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

17.2 इन विनियमों के प्रावधानों की व्याख्या के किसी भी मामले को कुलपति को भेजा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा।

आदेश से,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक 543 /अका / 2025 रायपुर, दिनांक 18 /03/2025

प्रतिलिपि :-

01. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-3. दूसरी और तीसरी मंजिल. इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
05. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला / प्राचार्य, संबद्ध समस्त महाविद्यालय
06. समस्त विभागीय अधिकारी
07. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप-कुलसचिव (अका.)